रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 1986 (वैशाख 13, 1908)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 1986 (VAISAKHA 13, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	357
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	505
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	579
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	17809
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस .	303
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	449
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	73
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	357
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	505
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	579
PART II—SECTION I—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)- General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including byelaws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	17869
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	303
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	443
PAR IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	73
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1986

सं० यू-13019/2/85-ए०एन०एल०--राष्ट्रपति इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 दिसम्बर, 1985 के अधीन गठित गृह मंत्री से संबद्ध संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो महीने अर्थात् 31 मई, 1986 तक बढ़ाते हैं।

सं० यू-13019/2/85-ए०एन०एल०--राष्ट्रपति इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 दिसम्बर, 1985 के अधीन गठित लक्षद्वीप के प्रशासक से संबद्ध सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो महीने अर्थात् 31 मई, 1986 तक बढ़ाते हैं।

सुरेन्द्र कुमार, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1986

आदेश

सं० 14(1)/85-कागज--केन्द्रीय सरकार, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को, जिसके एकक पश्चिमी बंगाल में काकीनाड़ा और टीटागढ़ तथा उड़ीसा में चौदवार में हैं; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मिलों को, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारी वित्तीय हानि हुई है, 1 अक्तूबर, 1985 को प्रारंभ होने वाली और 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त आदेश के खंड 3 की अपेक्षाओं से छूट देती है।

जी० सुन्दरम, अवर सचिव

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

संकल्प

सं० ग्लास/10(4)/86/--संकल्प सं० ग्लास/10/(4)/86--दिनांक 5-2-1986 को कृपया देखें। भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए कांच तथा कांच के सामान के उद्योगों की विकास नामिका का पुनर्गठन किया है। अब नामिका के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करने का निर्णय किया गया है:—

1. श्री एस०सी० वार्ष्णेय,
   मैसर्स सेरायकेला ग्लास वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड,
   पो० आ० कान्द्रा,
   जिला—सिंह भूम, बिहार।
2. श्री एस०के० झुनझुनवाला,
   अध्यक्ष,
   अखिल भारतीय ग्लास निर्माता संघ,
   27, बाराखंबा रोड,
   812, नई दिल्ली हाउस,
   नई दिल्ली।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आमसूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० रांजवाल, निदेशक (प्रशासन)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, 110001, दिनांक 25 मार्च 1986

सं० 14/11/83-समिति--इस कार्यालय की राजपत्रित अधिसूचना सं० यही, दिनांक 11 जुलाई, 1985 के क्रम में जन साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि प्रोफेसर वी०के० गौड़, निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, की भौतिक और भू-विज्ञान समूह की समन्वय परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्यावधि एक वर्ष के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 1987 तक बढ़ा दी गई है। परिणामस्वरूप वह इस तारीख तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा और सोसायटी के सदस्य बने रहेंगे।

अशेष प्रसाद मित्र, सचिव,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, व
महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० एफ० नं० 1-2/85-पी०एन०-2--केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पिछली बार सितम्बर, 1982 में गठित किया गया था और इसका कार्यकाल सितम्बर, 1985 में समाप्त हो गया है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के संदर्भ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा शैक्षिक प्रगति में भूमिका निभा सकने वाले अन्य अभिकरणों की और अधिक प्रभावी भूमिका, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच शिक्षा के क्षेत्रों में अधिकाधिक समन्वय की आवश्यकता, मानव संसाधन विकास को दिए जा रहे महत्व और नई शिक्षा नीति तैयार करने के निर्णय के सम्बन्ध में समूचे देश में हाल ही में उठी व्यापक मांग को ध्यान में

रखते हुए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्यों को पुनः परिभाषित करना आवश्यक समझा गया है।

2. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के संशोधित कार्य होंगे :

(क) समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित प्रभिकरणों द्वारा शिक्षा नीति को किस हद तक और किस तरह से कार्यान्वित किया गया है, इसका मूल्यांकन करना और इस सम्बन्ध में उपयुक्त सलाह देना;

(ग) शिक्षा नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी शैक्षिक प्रभिकरणों के बीच समन्वय के सम्बन्ध में सलाह देना;

(घ) अपनी ओर से ही अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघीय क्षेत्र के प्रशासन द्वारा भेजे गए किसी भी शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर सलाह देना;

3. इन कार्यों को करने के लिए बोर्ड (I) किसी भी सरकारी संस्था, किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति से सूचना तथा टिप्पणियां मंगा सकता है; (II) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों तथा/अथवा अन्यों, जैसा भी आवश्यक हो, की समितियां अथवा दल नियुक्त कर सकता है; और (III) बोर्ड अथवा इसकी समितियां अथवा दलों को जिन विशिष्ट प्रश्नों पर ध्यान देना है, उनके सम्बन्ध में सरकार अथवा किसी अन्य प्रभिकरण के माध्यम से अध्ययनों, अनुसंधान अथवा रिपोर्टें मंगवा सकता है।

4. बोर्ड का गठन वैसा होगा जैसा कि अनुबन्ध में दिया गया है।

5. (क) कार्यकाल : बोर्ड के पदेन सदस्यों को छोड़ कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से शुरू होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्त स्थान : (i) पदेन सदस्यों को छोड़ कर अन्य सदस्यों के सभी आकस्मिक रिक्त स्थान उस प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने उस सदस्य को नामजद किया अथवा चुना था, जिसका पद रिक्त हुआ है (ii) आकस्मिक रिक्त स्थान के लिए नामजद या चुना गया व्यक्ति बोर्ड का सदस्य उस शेष अवधि के लिए ही रहेगा जिस अवधि तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे चुना गया है, सदस्य बना रहता।

(ग) बैठकें : बोर्ड की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी और बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(घ) कार्यसूची : (i) कार्यसूची, व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाही का रिकार्ड/कार्यवृत्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार द्वारा तैयार करके परिचालित किया जाएगा। (ii) कार्यसूची और व्याख्यात्मक ज्ञापन सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक से सामान्यतः कम-से-कम 15 दिन पहले भेजें जाएंगे।

(ङ) कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम बोर्ड की कुल सदस्यता का 2/3 होगा।

(च) कार्य-पद्धति : जिन मामलों के लिए ऊपर कोई कार्य पद्धति नहीं बताई गई है, उनके सम्बन्ध में बोर्ड अपनी ही कार्य-पद्धति अपनाएगा।

(छ) सामान्य : केवल कार्य-पद्धति सम्बन्धी किसी त्रुटि अथवा सदस्यता की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत खाली स्थान होने के आधार पर बोर्ड की कोई भी कारवाई अवैध नहीं होगी।

पी० के० पटनायक, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन

(1) अध्यक्ष
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

(2) उपाध्यक्ष
शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री

(3) भारत सरकार के प्रतिनिधि
(i) युवा कार्यक्रम तथा खेल तथा महिला कल्याण राज्य मंत्री
(ii) सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री
(iii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(iv) राज्य मंत्री कल्याण मंत्रालय
(v) सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग
(vi) उप मंत्री स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

(4) राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों के प्रतिनिधि।
(i) प्रत्येक राज्य सरकार में शिक्षा के प्रभारी मंत्री।
(ii) प्रत्येक संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का उप-राज्यपाल अथवा शिक्षा का प्रभारी मंत्री

(5) चुने हुए सदस्य
(i) लोक सभा से चार संसद सदस्य
(ii) राज्य सभा से दो संसद सदस्य
(iii) संघ की कार्य परिषद् द्वारा चुना हुआ भारतीय विश्वविद्यालय संघ का एक सदस्य।
(iv) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक सदस्य।
(v) परिषद् द्वारा नामजद भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक सदस्य।

(6) पदेन सदस्य
(i) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
(ii) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्।
(iii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान।
(iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्।
(v) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
(vi) कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय।
(vii) अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड।

(7) विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामजद सदस्य
31 सदस्य।

(8) सदस्य सचिव
शिक्षा सचिव
स्थायी रूप से आमन्त्रित व्यक्ति
सचिव, संस्कृति विभाग
सचिव, कला विभाग
सचिव, युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग।
सचिव, महिला तथा बाल विकास विभाग
सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
सचिव, कल्याण मंत्रालय
सचिव, योजना आयोग
सचिव, श्रम आयोग
सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय
अध्यक्ष इलैक्ट्रोनिक्स आयोग
विशेष सचिव, शिक्षा विभाग।
अपर सचिव, शिक्षा विभाग
शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा विभाग।
सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग।
निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय।.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1986

आदेश

सं० 23-17/84-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एल०)--जबकि भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय वन्य प्राणी संस्थान को दिनांक 19-2-86 के पत्र संख्या 23-17/84 एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एफ०) के द्वारा स्वायत्तशासी संस्थान में परिवर्तित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है, और

जबकि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान सोसाइटी का गठन किया गया है और उसको संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सहायक संस्था पंजीयक, मेरठ के पंजीकरण संख्या 2284/1985-86 दिनांक 19-2-86 के द्वारा पंजीकृत किया गया है;

अत: अब भारत सरकार द्वारा एतद्द्वारा भारतीय वन्य प्राणी संस्थान अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित सभी परि-सम्पत्तियों और दायित्वों को 1 अप्रैल, 1986 से भारतीय वन्य प्राणी संस्थान सोसायटी को हस्तांतरित करती है।

डा० रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नयी दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 1986

संकल्प

सं० 1-2/86-एल० डी० टी० (ई० डी०)--देश में ऊंटों की जनसंख्या में वृद्धि करने और एक उपयुक्त निर्यात नीति को बनाने की दृष्टि से, ऊंटों के परिरक्षण, विकास और प्रजनन के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को विकसित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि ऊंटों के निर्यात सहित मामले के सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया जाए। समिति एक तकनीकी अध्ययन समूह होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :--

1. श्री बी० एस० सराव, अपर सचिव, भारत सरकार।	अध्यक्ष
2. पशुपालन आयुक्त।	उपाध्यक्ष
3. वित्त सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग।	सदस्य
4. संयुक्त सचिव (डी० डी०)।	सदस्य
5. उप महा निदेशक (ए एस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्।	सदस्य
6. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान जयपुर।	सदस्य
7. निदेशक, पशुपालन, गुजरात गांधीनगर।	सदस्य
8. निदेशक, पशुपालन, पंजाब, चंडीगढ़।	सदस्य
9. निदेशक, पशुपालन, हरियाणा, चण्डीगढ़।	सदस्य
10. अध्यक्ष, भारतीय कृषि उद्योग कारपोरेशन या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
11. निदेशक, राष्ट्रीय उंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।	सदस्य
12. सचिव, रा० के० वि० बोर्ड, गुजरात, आनन्द।	सदस्य
13. वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि।	सदस्य
14. कृषि आयुक्त या उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
15. संयुक्त आयुक्त (मृदा संरक्षण)।	सदस्य
16. संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), कृषि और सहकारिता विभाग।	सदस्य सचिव

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :--

(क) देश में ऊंटों की जनसंख्या की प्रवृत्ति की समीक्षा करना.

(ख) ऊंटों के परिरक्षण, विकास, प्रजनन, चारे और साथ ही साथ विपणन से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उनके सुधार के लिए उपाय सुझाना।

(ग) ऊंटों के निर्यात से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(घ) देश में ऊंटों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य को करना।

समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्य बना सकती है।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा; समिति प्राय: आवश्यकतानुसार बैठक बुलाएगी और गठन की तारीख से वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, सरकारों चण्डीगढ़ प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एस० सराव, अपर सचिव (एस)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1986

संकल्प

सं० एफ० 7-(ii)/84 डी०-1 (भा०)--मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के दिनांक 21 सितम्बर 1984 के समसंख्यक संकल्प के आंशिक संशोधन में यह संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाए। ये संशोधन तत्काल लागू होंगे।

संरचना

क्रमसंख्यक 1 के सामने लिखी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :--

"शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री"

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी गैर-हिन्दी भाषी राज्यों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और सभी मंत्रालयों तथा भारत सरकार के सभी विभागों को प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व समान्य सूचनार्थ संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आदर्श मिश्रा, निदेशक (भा०) भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 1986

संकल्प

सं० 11(2)/86-परि०-III--तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के 30 जनवरी 1976 के संकल्प संख्या 8/17/74-डी० डब्ल्यू-II (संकल्प संख्या 8/17/74-डी० डब्ल्यू०-2 तारीख 10-11-76 और 28-3-1978 द्वारा यथा संशोधित) जिसके द्वारा बाणसागर नियंत्रण बोर्ड तथा उसके तहत कार्यकारी समिति गठित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

कार्यकारी समिति

पैरा 8 में प्रविष्टि (2) के स्थान पर यह रखा जाये :--

(2) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग तथा भारत सरकार के पदेन सचिव इस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे और कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे, नामश :

(क) सदस्य (पीएंडपी) केन्द्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

(ख) वित्तीय सलाहकार, केन्द्र जल संसाधन मंत्रालय

(ग) मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के वित्त विभागों के प्रभारी सचिव

(घ) मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभागों के प्रभारी सचिव/सिंचाई आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

(ङ) आयुक्त (नदी बेसिन) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय

(च) प्रधान इंजीनियर/मुख्य इंजीनियर, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश

(छ) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, विद्युत बोर्ड

(ज) मुख्य इंजीनियर और वित्तीय सलाहकार, बाणसागर परियोजना

(झ) संयुक्त सचिव (हाइडल), केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और राज्य सरकारों से इसे राज्य के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाये।

मीनू सेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, he 10th April 1986

No. U.13019/2/85-ANL.—The President is pleased to extend the tenure of non-official members of the Advisory Council, associated with the Administrator, Lakshadweep consituated under the Ministry's notification of even number dated 5th Dec., 1985 for a further period of two months upto 31st May, 1986.

No. U.13019/2/85-ANL.—The President is pleased to extend the tenure of non-official members of the Advisory Committee of the Union territory of Lakshadweep associated with the Minister of Home Affairs constituted under this Ministry's notification of even number dated 6th Dec., 1985 for a further period of two months upto 31st May, 1986.

SURENDRA KUMAR, Director

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th April 1986

ORDER

No. 14(1)/85-Paper.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 1st October, 1985 and ending on the 30th September, 1986 M/s. Titaghur Paper Mills Co. Ltd. having units at Kankinara and Titaghur in West Bengal and Chowdhwar in Orissa from the requirements of Clause 3 of the said order having regard to the fact that the said mills have suffered heavy financial losses in the preceding three years.

G. SUNDARAM, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 31st March 1986

RESOLUTION

No. Glass/10(4)/86.—Vide Resolution No. Galss/10(4)/86 dated 5-2-1986, Govt. has reconstituted the Development Panel for Glass and Glassware Industry for a period of 2 years from the date of issue of Resolution. It has now been decided to include the following as members of the Panel.

1. Shri S. C. Varshnei
   M/s Seraikella Glass Works (P) Ltd.,
   P.O. Kandra
   Distt. Singhbum,
   Bihar.
2. Shri S. K. Jhunjhunwala,
   President,
   The All India Glass Manufacturers Federation,
   27 Barakhamba Road,
   812 New Delhi House,
   New Delhi.

ORDER

ORDER : Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.)

New Delhi, the 3rd April 1986

CORRIGENDUM

No. A-43011(11)(1)/86-PD/309.—Reference Resolution No. TDD-1/34(7)/86 dated the 14th March, 1986 constituting the Technology Development Advisory Group for Electronics & Electro-Mechanical Instruments and their incorporation in selected industries to render advice on the technology thrust to be made in this Sector for a period of one year w.e.f. 1-4-1986. At page 2 of the Resolution, the terms and reference to the Advisory Group may please be substituted with the following ones :—

(i) Assessment of existing technology in India in terms of quality of design and manufacturing techniques and status of contemporary international technology.

(ii) Identification of technology gaps.

(iii) Finalisation of long-term and short-term technology goals for upgradation of the existing technology so as to make it appropriate and contemporary.

(iv) Identification of specific task and the agency/organisations which should be assigned for such work to complete within a fixed time target.

(v) Identification of Engineering and Management Consultants who can play a significant role in the establishment of new uses and/or in upgradation of existing technologies and export of technologies/services and products.

(vi) Identification of lead organisation which will carry out research, design and development work in accordance with the domestic needs and other related conditions.

(vii) To make recommendations on the appropriate methodology for monitoring the programme as indicated above.

Other points in the Resolution remain unchanged. There is no change in the Resolution in Hindi version as well.

ORDER

Ordered that a copy of the Corrigendum may be communicated to all concerned. Ordered also that the Corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.)
& C.V.O.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-1, the 25th March 1986

No. 14/11/83-CTE.—Further to this office Gazette Notification of even number dated 11th July, 1985 it is notified for general information that the term of Chairmanship of the Coordination Council for Physical and Earth Sciences Group of Prof. V. K. Gaur, Director, National Geophysical Research Institute, Hyderabad has been extended by one year i.e. upto 31st March, 1987. Consequently, he will continue to be member of the Governing Body and the Society of CSIR till that date.

A. P. MITRA, Secy. to the Government of India,
Department of Scientific and Industrial
Research and Director General,
Scientific & Industrial Research,
New Delhi-110001

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 10th April 1986

RESOLUTION

No. F.1.1-21/85-PN-2.—The Central Advisory Board of Education was last constituted in September 1982 and its term expired in September, 1985. In view of the widespread demand throughout the country recently voiced in the context of formulation of New Education Policy for more effective role of the Central and State Governments as well as other agencies which can contribute to educational progress; need for greater coordination in areas of education between the Central and State Governments and between State Government and local bodies and non-government agencies; importance being given to human resource development; and the decision to formulate the New Education Policy, it has been felt necessary to redefine the functions of CABE.

2. The revised functions of CABE would be :

(a) to review the progress of education from itme to time;

(b) to appraise the extent and manner in which the education policy has been implemented by the Central and State Governments, and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter;

(c) to advise regarding coordination between the Central and State Governments/UT Administrations, State Governments and non-government agencies for educational development in accordance with the education policy; and

(d) to advise suo moto, or on a reference made to it by the Central Government or any State Government or a Union Territory Administration on any educational question.

3. For the discharge of these functions, the Board may (i) call for information and comments from any Government institution, any other organisation or an individual; (ii) appoint committees or groups comprising members of CABE and/or others as may be necessary; and (iii) commission, through Government or any other agency, studies, research or reports on any specific issue requiring attention of the Board or its committees or groups.

4. The composition of the Board shall be as indicated in the Annex.

5. (a) *TENURE OF OFFICE* : The tenure of office of members of the Board, other than the ex-officio members, shall be three years. The tenure shall take effect from the date of this notification.

(b) *CASUAL VACANCIES* : (i) All casual vacancies among the members, other than ex-officio members shall be filled by the authority or body which nominated or elected the member whose place falls vacant. (ii) The person nominated or elected to a casual vacancy shall be the member of the Board for the residue of the term for which the member whose place he fills would have been a member.

(c) *MEETINGS* : The Board will meet at least once every year and there shall not be a gap of more than two years between two consecutive meetings of the Board.

(d) *AGENDA* : (i) The Agenda, the explanatory memorandum and the record of proceedings/minutes will be prepared and circulated by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Government of India.

(ii) The Agenda and the explanatory memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 15 days before the date of the meeting of the Board.

(e) *QUORUM* : The quorum of the meeting of the Board will be 2/3rd of the total membership of the Board.

(f) *PROCEDURE* : The Board will adopt its own procedure in respect of matters not provided for above.

(g) *GENERAL* : No proceedings of the Board shall be invalid merely on ground of procedural defect or vacancy under any category of membership.

P. K. PATNAIK, Jt. Secy.

Annex

THE COMPOSITION OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

(1) *Chairman*

Union Minister of Human Resource Development.

(2) *Vice Chairman*

Minister of State for Education and Culture.

(3) *Representatives of the Government of India*

(i) Minister of State for Youth Affairs and Sports, and Women's Welfare.

(ii) Minister of State for Information and Broadcasting.

(iii) Minister of State for Science and Technology.

(iv) Minister of State, Ministry of Welfare.

(v) Member (Education), Planning Commission.

(vi) Deputy Minister, Ministry of Health and Family Welfare.

(4) *Representatives of the State Governments and UT Administrations*

(i) Ministers incharge of Education in each State Govt.

(ii) Lt. Governors or Ministers incharge of Education in each UT Administration.

(5) *Elected Members*

(i) Four Members of Parliament from Lok Sabha.

(ii) Two Members of Parliament from Rajya Sabha.

(iii) One Member of the Association of Indian Universities elected by the Executive Committee of the Association.

(iv) One Member of the All India Council for Technical Education to be nominated by the Chairman of the Council.

(v) One Member of the Medical Council of India to be nominated by the Council.

(6) *Ex-Officio Members*

(i) Chairman, University Grants Commission.

(ii) Director-General, Indian Council of Agricultural Research.

(iii) Director, NIEPA.

(iv) Director, NCERT.

(v) Chairman, CBSE.

(vi) Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University.

(vii) Chairman, Central Social Welfare Board.

(7) *Nominated members representing various categories*

31 Members.

(8) *Member Secretary*

Education Secretary.

Permanent Invitees

Secretary, Department of Culture.

Secretary, Department of Arts.

Secretary, Department of Youth Affairs & Sports.

Secretary, Department of Women & Child Development.

Secretary, Department of Science & Technology.

Secretary, Ministry of Welfare.

Secretary, Planning Commission

Secretary, Department of Labour.

Secretary, Ministry of Industrial Development.

Chairman, Electronics Commission.

Special Secretary, Department of Education.

Adviser (Education), Planning Commission.

Education Adviser (Technical), Department of Education.

Adviser (Education), Planning Commission.

Director, Directorate of Adult Education.

New Delhi, the 31st March 1986

RESOLUTION

No. F.7-(ii)-1/84 D.I(L).—In partial modification of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Resolution of even number dated 21st September, 1984, it is hereby resolved to make the following amendment in the aforesaid Resolution. The amendments shall take immediate effect.

COMPOSITION

For the existing entry against S. No. I the following shall be substituted :

"Minister of State for Education & Culture."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the non-Hindi speaking States, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Sectt. and all the Ministries and Deptt. of the Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ADARSH MISRA, Dir. (L)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

(WILD LIFE DIVISION)

New Delhi, the 25th March 1986

ORDER

No. 23-17/84-FRY(WL).—Whereas Government of India have accorded their approval to the conversion of the Wildlife Institute of India, a subordinate office of the Ministry of Environment and Forests, into an autonomous Institution, vide letter No. 23-17/84-FRY(WL) dated 11-2-1986, and

Whereas the Wildlife Institute of India Society has been constituted and registered as such under the Societies Registration Act, 1860, vide Registration No. 2284/1985-86 dated 19-2-1986 of the Assistant Registrar Societies, Meerut;

Now, therefore, Government of India hereby transfer, with effect from 1st April, 1986, all assets and liabilities and the subordinate office of the Wildlife Institute of India to the Wildlife Institute of India Society.

DR. RANJITSINH, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th April 1986

RESOLUTION

No. A-2/86-IDT(ED).—The Government of India have had under consideration the question of developing suitable programmes for preservation, development and breeding of camels with a view to increasing camel population in the country and evolve a suitable export policy. It has, therefore, been decided to constitute a committee to go into all the aspects of the matter including export of camels. The committee will be a technical study group and will consist of :

Chairman

1. Shri B. S. Sarao, Addl. Secretary, Government of India.

2. Animal Husbandry Commissioner
Vice-Chairman
Members

3. Financial Advisor, Deptt. of Agriculture & Coopn.

4. Joint Secretary (DD)

5. Deputy Director General (AS), Indian Council of Agricultural Research.

6. Director, Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.
7. Director, Animal Husbandry, Gujarat, Gandhinagar.
8. Director, Animal Husbandry, Punjab, Chandigarh.
9. Director, Animal Husbandry, Haryana, Chandigarh.
10. Chairman, Bharatiya Agro Industries Foundation or his representative.
11. Director, National Research Centre on Camels, Bikaner.
12. Secretary, National Dairy Development Board, Anand, Gujarat.
13. Representative of the Ministry of Commerce.
14. Agriculture Commissioner or his representative.
15. Joint Commissioner (Soil Conservation). *Secretary*
16. Joint Commissioner (LP), Deptt. of Agriculture & Cooperation.

The functions of the committee will be as follows :

(a) To review the population trends of camels in the country.

(b) To review the schemes/programmes relating to preservation, development, breeding, feeding as well as marketing of camels and suggest measures for their improvement.

(c) To advise the Government on matters relating to export of camels.

(d) To undertake any other functions as assigned by the Government of India for the development of the camels in the country.

The committee may, from time to time, co-opt additional members as required.

The Headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will meet as often as required and submit its report within one year from the date of constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to the Governments of Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, Chandigarh Administration, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Commerce, Indian Council of Agricultural Research, Department of Agricultural Research and Education.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAO, Addl. Secy. (S)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 24th March 1986

RESOLUTION

No. 11(2)/86 P.III.—The following amendments are made in erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt. of Irrigation) Resolution No. 8/17/74-DW-II dated the 10-11-76 and 28-3-1978) constituting the Bansagar Control Board and the Executive Committee thereunder :—

Executive Committee

Entry (2) in para 8 is substituted as under :—

(2) The Chairman, Central Water Commission and ex-officio Secretary in the Govt. of India shall be the Chairman of the Executive Committee and the other members of the Executive Committee shall be the following, namely :—

(a) Member (P&P) CWC & Ex-Officio Addl. Secretary to the Govt. of India.

(b) the Financial Adviser, Union Ministry of Water Resources.

(c) the Secretaries in-charge of the Finance Departments of the Governments of Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh.

(d) the Secretaries/Irrigation Commissioner-cum-Principal Secretary in-charge of Irrigation Department of the Government of Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh;

(e) the Commissioner (River Basins) Union Ministry of Water Resources;

(f) the Engineer-in-Chief/Chief Engineer, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh;

(g) the Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board;

(h) the Chief Engineer and Financial Adviser, Bansagar Project;

(i) the Joint-Secretary (Hydel), Union Ministry of Energy (Deptt. of Power).

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of Central Government for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

BINOO SEN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986